

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**  
पत्रांक--पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)-11

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,  
मुंगेर, रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ,  
भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं गया।

पटना, दिनांक-- 12/02/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कुल राशि रू० 1,81,32,640/- (रू० एक करोड़ इक्यासी लाख बतीस हजार छः सौ चालीस) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कुल राशि रू० 1,81,32,640/- (रू० एक करोड़ इक्यासी लाख बतीस हजार छः सौ चालीस) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2-कुल भारत व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष-01. 01-वेतन, 01.03-जीवन यापन भत्ता, 01.04-मकान किराया भत्ता, 01.06-चिकित्सा भत्ता, 11.01-यात्रा व्यय, 13.04-विद्युत प्रभार, 21.01-सामग्री एवं पूर्तियां एवं 28.02-संविदा सेवाएं विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-28.02 संविदा सेवाएँ मद से राशि का व्यय केवल संविदा आधारित नियोजित शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए किया जाएगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-292, दिनांक-11.02.2021 में निहित निदेश का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

6- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7- प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वसभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)  
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)-11

पटना, दिनांक-12/02/2026


प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
11/2/26  
सरकार के अपर सचिव।

● वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटित राशि का विवरण :-

विपत्र कोड-11-2225032770010				वित्तीय वर्ष 2025-26								
क्र० सं०	विद्यालय का नाम	0101 वेतन	0103 जीवन यापन भत्ता	0104 मकान किराया भत्ता	0106 चिकित्सा भत्ता	योग	1101 यात्रा व्यय	1304 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2802 संविदा सेवाएँ	योग	कुल योग
1	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० मुंगेर	0	0	0		0	2000	200000			202000	202000
2	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० रोहतास	552000	303600	55200	12000	922800					0	922800
3	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० समस्तीपुर	0	0	0		0			1500000		1500000	1500000
4	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० दरभंगा	387000	212850	38700	16000	654550		200000			200000	854550
5	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० सहरसा	0	0	0		0		200000			200000	200000
6	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० पूर्णियाँ	1800000	990000	180000	20000	2990000		200000			200000	3190000
7	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० भागलपुर	2576000	1416800	257600	21000	4271400		200000		349890	549890	4821290
8	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० मुजफ्फरपुर	3300000	1815000	330000	17000	5462000			500000	220000	720000	6182000
9	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० गया	0	0	0		0		200000		60000	260000	260000
	योग	8615000	4738250	861500	86000	14300750	2000	1200000	2000000	629890	3831890	18132640

कुल राशि (रु० एक करोड़ इक्यासी लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस) मात्र

पत्रांक- 11 दिनांक- 12/02/2026 का अनुलग्नक

12/2/26  
सरकार के अपर सचिव